नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर, 2019

सा.का.नि. 683 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 683 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (१) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी लिम्णलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविधियों के स्थान पर लिम्णलिखित मद में और प्रविधियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;(i) ‘होटल आवास’ की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रुपए से क्रम या उसके बादबाद तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो।&quot;</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “रेस्तरां सेवा” की आपूर्ति</td>
<td>5</td>
<td>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (४)]</td>
</tr>
<tr>
<td>(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कॅटरिंग एवं पत्रकार निगम लिमिटेड या उनके लाईसेंसियों के द्वारा किसी सेवा या</td>
<td>5</td>
<td>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल</td>
</tr>
</tbody>
</table>
वस्तु, जो कि भोज्य प्रदाय या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती हों।

एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो।
[कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]

<table>
<thead>
<tr>
<th>(iv) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “आउटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न हो:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(v) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को कराए पर देने (जिसमें होटल, केन्द्रशासी सेंटर, कलब, पंडा, शामिल या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आउटडोर कैटरिंग” की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| (vi) उपयुक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में रक्षन की सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं |

स्पष्टीकरण:
(क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एटरद्वारा यह उपयुक्त किया जाता है कि कॉलम (3) के अंतर्गत मद (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित केन्द्रीय दर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी।
(ब) इस प्रविष्टि में “विशिष्ट परिसरों” में “रेस्तरां सेवाओं” की की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल है।
(ग) इस प्रविष्टि में “होटल आवास” जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रूपए प्रति
इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल है ।

(घ) इस प्रविष्टि में “आउटडोर कैटरिंग” जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो “विशिष्ट परिसरों” में “होटल की सुविधा” प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो ‘विशिष्ट परिसरों’ में अवस्थित हों, भी शामिल हैं।

(ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामिलित या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आउटडोर कैटरिंग” की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” प्रदान करते हैं अथवा “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित हों।

(ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द “सेवा”, के पश्चात शब्द “प्रचालको सहित” अंत:स्थापित किए जाएंगे;
(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द “या उनके बिना”, निरसित किए जाएंगे;
(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(ङ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) में, कोष्ठक और शब्द ”, (iv)” को निरसित किया जाएगा;
(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi), और (vii) के भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं।”</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ज) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“(क) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित हैं”</td>
<td>12</td>
<td>-”.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(इ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i)” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i) और (ik)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(अ) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द “की सेवा”, के स्थान पर शब्द “को समर्थन सेवा” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या “9986”, के पश्चात् शब्द और अंक “(कृषिक, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थन सेवाएं)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(द) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द “उत्ऩादों” के पश्चात् शब्द “, हीरे से मिलन” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(क) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (ik) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;(ix) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्यय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हो;</td>
<td>1.5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) सेवाएं जो कि बस द्वारा बिलिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हो;</td>
<td>18</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>(i) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ik), (ix) और (ii) से मिलन जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हो;</td>
<td>12</td>
<td>&quot;;&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(क) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक “(ik)”, के पश्चात् अंक और शब्द “(ix), (ig) और (ii)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द “पंजीकृत” को निरसित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(xxxi) “रेस्टरां सेवा” से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भौज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्टरां, इंटीज ज्वाइंट जिसमे मेस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे वह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए के गई हो जहां ऐसे भौज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ की आपूर्ति की गई हो ।

(xxxiii) “आउटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भौज्य प्रदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु
हो मा ऩेम हो की आऩूनतथ से हो जो िक िकसी प्रदशथनी हॉर सभायोह सभायोह सम् भे रन, भ रयज हॉर मा अन्‍द म आउटडोय मा इनडोय सभायोह भें की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय होटलों, इन्स, गेस्ट हाउसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाइम शेयर सूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है।

(xxxv) “घोषित टैरिफ” से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभाव से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभाव पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है।

(xxxvi) ‘विशिष्ट परिसर’ से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे “होटल की व्यवस्था” की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

(फाइल संख्या 354/136/2019-डीआरएफ)

(रूचि बिन्दु)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 10 मई, 2019, सा.का.नि 355 (अ), दिनांक 10 मई, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।